सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 83 रांची, बुधवार

22 माघ 1936 (श०)

11 फरवरी, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी, 2015

संख्या-4/न0वि0/चुनाव/108/2014- 416(अनु)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा 590 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015" अधिसूचित करते हैं ।

यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या

<u>का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015</u>

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ -

(1) यह नियमावली "झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015" कही जा सकेगी;

(2) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ-इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011

(झारखण्ड अधिनियम 07, 2012);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा;

(ग) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चय की गई जनसंख्या, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं;

(घ) "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 2 की उपधारा (12) के अधीन पिछड़ा वर्ग;

(ङ) "पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) एवं धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन पिछड़ा वर्ग की ऐसी जनसंख्या जिसका अभिनिश्चय अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के आँकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों एवं पदों में आरक्षण एवं आवंटन हेतु किया गया हो;

(च) "अभिनिश्चय" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार/निर्वाचन क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या ज्ञात करने के निमित्त किया गया कार्य;

(छ) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 2 की उपधारा (68) के अधीन गठित एक स्वयात्त्शाशी संस्था;

(ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपाबद्ध अनुसूची;

(ञ) "विभाग" से अभिप्रेत है नगर विकास विभाग;

(ट) "सरकार"/ "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित षब्दों के वही अर्थ होंगे जो झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में उनके लिए दिए गए हैं।

3. पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय -

(1) नगरपालिका में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित की जाएगी;

(2) उक्त अभिनिश्चय का आधार "झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2006" के अधीन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार/ निर्वाचन क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या होगी;

(3) "झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2006" के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चयन जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर की गई थी, उन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र को आधार मानते हुए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय किया जाएगा;

(4) उप नियम (3) के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के तहत् "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार/ निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा;

(5) उप नियम (4) के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के ज्ञात प्रतिशत को आधार मानकर अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में "अन्य" की जनसंख्या के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार/निर्वाचन क्षेत्रवार आकलित की जाएगी;

(6) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रयोजनार्थ कृत कार्रवाई के फलस्वरूप यदि किसी नगरपालिका की प्रास्थिति (स्टेट्स) अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में कोई परिवर्तन होता है, तो उपनियम (5) के अधीन प्राप्त आँकड़ों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार उनकी अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विस्तारित की जाएगी;

परन्तु यह कि पंचायतों के वैसे क्षेत्र जो किसी निकटस्थ नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं या नये नगरपालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए है, में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चिय की प्रक्रिया यथास्थिति वही होगी जो तत्समय पंचायत क्षेत्र के लिए पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अभिनिश्चय हेतु विहित की गयी है।

(7) अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के आँकड़ों में "अन्य" की जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम को छोड़ दिया जाएगा तथा आधा से अधिक को एक माना जाएगा।

4. अभिनिश्चित सूची का प्रकाशन -

(1) नियम 3 के अधीन पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के आकलन के लिए यथास्थिति प्रपत्र-1(क) या प्रपत्र-1(ख) में पंजी तैयार की जाएगी;

(2) नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन यथास्थिति प्रपत्र-1(क) या प्रपत्र-1(ख) में तैयार पंजी के आधार पर प्रपत्र-2 में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा;

(3) प्रपत्र-2 का प्रारूप सम्बन्धित नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा;

(4) उप नियम (3) के अधीन प्रकाशित प्रारूप में अन्तर्विष्ट किसी बात के सम्बन्ध में कोई आपात्ति या सुझाव, लिखित रूप में, प्रपत्र-2 में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर किसी अन्य पदाधिकारी को दी जा सकेगी परन्तु इस कार्य हेतु नगरपालिका के किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया जाएगा;

(5) उप नियम (4) के अधीन आपात्ति या सुझाव प्राप्त होने पर जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक जाँचोपरान्त अपना विनिश्चय करेगा, जो अंतिम

होगा एवं यह विनिश्चय उप नियम (4) में प्रकाशन के निर्धारित अंतिम तिथि से अगले सात दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा। तत्पश्चात् प्रपत्र-2 अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा।

5. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करना -

(1) जिला दण्डाधिकारी, अभिनिश्चयन कार्य हेतु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा अथवा इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(2) अभिनिश्चयन का कार्य सही रूप से सम्पन्न हो, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिला दण्डाधिकारी की होगी;

(3) जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभिनिश्चयन संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी या उसके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जो यथा निदेशानुसार अपना प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेगा।

6. अभिनिश्चित जनसंख्या का प्रकाशन -

(1) नियम 4 के उप नियम (5) के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में अंतिम रूप से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या को नगरपालिकावार संकलित कर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा;

(2) जिला दण्डाधिकारी, प्रकाशित जिला गजट की एक प्रति सरकार के नगर विकास विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा;

(3) सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा सभी जिलों से प्राप्त पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या को नगरपालिकावार समेकित कर राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा एवं उसकी एक प्रति सभी जिलों एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

7. आँकड़ों की विमुक्ति एवं सुरक्षा -

(1) अभिनिश्चयन कार्य से सम्बन्धित सभी आँकड़े एवं अभिलेख सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उपलब्ध एवं विमुक्त नहीं किए जायेंगे;

(2) अभिनिश्चयन कार्य से सम्बन्धित आँकड़ों के अभिलेख जिला दण्डाधिकारी की अभिरक्षा में अगले आदेश तक के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे।

8. कठिनाई दूर करने की व्यवस्था -

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत् इस नियामावली के प्रयोजनार्थ पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के अभिनिश्चयन सम्बंधी कार्य में किसी कठिनाई को दूर करने के निमित्त नगर विकास विभाग द्वारा विधि सम्मत आदेश/ निर्देश निर्गत किया जा सकेगा।

9. व्यावृत्ति-

झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2006 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत् पूर्व में की गई

कार्रवाई झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं के आलोक में अविधिमान्य नहीं समझे जाएंगे मानो उक्त नियमावली उक्त तिथि को प्रवृत्त था, जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी।

10. शास्ति -

अभिनिश्चयन कार्य में किसी भी स्तर के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि जानबूझ कर या दुर्भावना से कोई गलती या कर्त्तव्य की उपेक्षा या लापरवाही किया जाता है तो उसके विरूद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 600 के तहत् कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सचिव,

नगर विकास विभाग,झारखण्ड, राँची।

अनुसूची

(नियम-3 देखिये)

उदाहरण-1

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया

प्रथम चरण:

"झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015" के नियम 3 के उप नियम (1) में यथा उल्लेख है कि नगरपालिका में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सर्वप्रथम प्रपत्र-1(क) के कॉलम संख्या 2, 3 एवं 4 में उनसे सम्बंधित व्यौरा/आँकड़े अंकित किए जाएंगे। तत्पश्चात् नियम 3 के उप नियम (3) के तहत् झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2006 के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या को प्रपत्र-1(क) के कॉलम 5 में अंकित किया जाएगा। नियमावली के नियम 3 के उप नियम (4) के तहत् प्रपत्र-1(क) के कॉलम 4 में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की "कुल" जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के योग को घटा दिया जाएगा और इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगा वह "अन्य" की जनसंख्या होगी, जिसे कॉलम 4 में अंकित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-01 की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2490 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 240 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 342 है तो उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार {कुल-(अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति) = अन्य} की जनसंख्या प्राप्त की जाएगी। अर्थात् {2490-(240+342)=1908} प्राप्त किया जाएगा जिसे प्रपत्र-1(क) के कॉलम 4 में अंकित किया जाएगा।

अब चूँकि "झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015'' के नियम 3 के उप नियम (4) के तहत् पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत "अन्य" की जनसंख्या (1908) में से प्राप्त करना है, तो इसके लिए निम्नवत गणना की जाएगी -

1. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-01 की कुल जनसंख्या : 2490

2. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या : 1908

3. वर्ष 2006 की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित कुल जनसंख्या : 490

4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत : $\frac{490\times100}{1908} = 25.68$

प्राप्त प्रतिशत को प्रपत्र-1(क) के कॉलम 6 में अंकित किया जाएगा।

<u>द्वितीय चरण:</u>

इस चरण में प्रपत्र-1(क) के कॉलम 7, 8 एवं 9 से सम्बंधित कार्य किए जाएंगे। इस निमित्त नियम 3 के उप नियम (5) के अधीन यथा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 (यदि वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में आँकड़े प्राप्त करना हो तो) की "कुल" जनसंख्या में से "अन्य" की जनसंख्या प्राप्त की जाएगी तथा प्रपत्र-1(क) के कॉलम 7 में उक्त आँकड़ों को अंकित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-01 की "कुल" जनसंख्या 2692 है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 292 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 398 है तो 'अन्य' की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उक्त प्रादेशिक निर्वाचन

क्षेत्र की 'कुल' जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के योग को घटा देने से 'अन्य' की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात् 2692-(292+398)= 2002 होगा।

तत्पश्चात् प्रथम चरण के क्रमांक 4 में प्राप्त पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या के प्रतिशत को अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के 'अन्य' की जनसंख्या के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या निम्नवत आकलित की जाएगी -

1. अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 01 की 'कुल' जनसंख्या : 2692

2. अनुसूचित जाति की जनसंख्या : 292

3. अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या : 398

4. 'अन्य' की जनसंख्या : 2692 - (292+398) = 2002

5. पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या -

$$\frac{\textbf{द्वितीय चरण के क्रमांक 4 से प्राप्त आँकड़ा} \times \textbf{प्रथम चरण के क्रमांक 4 से प्राप्त प्रतिशत}}{100}$$

अर्थात् $\frac{2002 \times 25.68}{100} = 514.11$

उपर्युक्त आँकड़े को प्रपत्र-1(क) के कॉलम 8 में अंकित किया जाएगा।

झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015 के नियम 3 के उप नियम (7) के अधीन अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना (2011) के आँकड़ों के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या को अभिनिश्चित करते समय गणना में आधा एवं आधा से कम को छोड़ देना है तथा आधा से अधिक को एक माना जाना है। इसलिए उपर्युक्त प्रकार से आकलित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या जो 514.11 प्राप्त हुआ है उसे नियम 3 के उप नियम (7) के अधीन रहते हुए 514 माना जाएगा तथा प्रपत्र-1(क) के कॉलम 9 में तदनुसार अंकित किया जाएगा।

उदाहरण-2

(नियम-3 देखिये)

नगरपालिका की अवस्थिति अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चय करने की प्रक्रियाः

<u>प्रथम चरण:</u>

झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015 के नियम 3 के उप नियम (1) में यथा उल्लेख है कि नगरपालिका में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों एवं पदों में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चित की जाएगी। सर्वप्रथम प्रपत्र-1(ख) के कॉलम संख्या 1 एवं 2 में उनसे सम्बंधित व्यौरा/आँकड़े अंकित किए जाएंगे। तत्पश्चात् नियम 3 के उप नियम (3) के तहत् झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों एवं नागरिकों की संख्या अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2006 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या को प्रपत्र-1(ख) के कॉलम 3 में अंकित किया जाएगा। नियमावली के नियम 3 के उप नियम (4) के तहत् प्रपत्र-1(ख) के कॉलम 4 में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु किसी नगरपालिका क्षेत्र की "कुल" जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के योग को घटा दिया जाएगा और इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगा वह "अन्य" की जनसंख्या होगी जिसे कॉलम 4 में अंकित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 17246 है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2282 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 234 है तो उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार {कुल - (अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति) = अन्य} की जनसंख्या प्राप्त की जाएगी। अर्थात् {17246-(2282+234)=14730} प्राप्त किया जाएगा, जिसे प्रपत्र-1(ख) के कॉलम 4 में अंकित किया जाएगा।

अब चूँकि झारखण्ड नगरपालिका (पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय एवं प्रकाशन) नियमावली, 2015 के नियम 3 के उप नियम (4) के तहत् पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत "अन्य" की जनसंख्या (14730) में से प्राप्त करना है, तो इसके लिए निम्नवत् गणना की जाएगी -

1. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार किसी नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या : 17246
2. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार "अन्य" की जनसंख्या : 14730
3. वर्ष 2006 की नियमावली के अनुसार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित कुल जनसंख्या : 10682
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार : $\frac{10682\times100}{14730}$ = 72.51

"अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत

प्राप्त प्रतिशत को प्रपत्र-1(ख) के कॉलम 5 में अंकित किया जाएगा।

<u>द्वितीय चरण:</u>

इस चरण में प्रपत्र-1(ख) के कॉलम 6, 7 एवं 8 से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इस निमित्त नियम 3 के उप नियम (6) के अधीन किसी नगरपालिका की प्रास्थिति अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में, उस नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या (कॉलम 8) आकलन करने के लिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों से अनुसूचित जाति (3853) एवं अनुसूचित जनजाति (3270) की जनसंख्या के योग (7123) को उस नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र की 'कुल' जनसंख्या (24633) से घटाने के पश्चात् 'अन्य' की जनसंख्या (17510) प्राप्त हो जाएगी जिसे कॉलम 7 में अंकित किया जाएगा। अर्थात {24633-(3853+3270) = 17510}

इसके पश्चात् प्रथम चरण के कॉलम 5 में अंकित पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के ज्ञात प्रतिशत (72.51) के अनुसार कॉलम 7 में उल्लिखित 'अन्य' की कुल जनसंख्या (17510) में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत के आधार पर आकलन के पश्चात् प्राप्त आँकड़े (12696) को कॉलम 8 में दर्ज किया जाएगा जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों के अन्तर्गत प्राप्त पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या होगी।

तत्पश्चात् अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में 'अन्य' की जनसंख्या में प्राप्त पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या (12696) को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी अवस्थिति के अनुसार (जिस प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य की जनसंख्या का विस्तारीकरण किया गया है) विस्तारित किया जाएगा। इस प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की विस्तारित जनसंख्या ही पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या होगी।

प्रपत्र - 1(क)

(नियम - 4(1) देखिए)

(उदाहरण-1)

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चय पंजी

जिला..... नगरपालिका .....

क्र0 सं0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य" की जनसंख्या	वर्ष 2006 की नियमावली के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की कुल अभिनिश्चित जनसंख्या	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य " की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य " की जनसंख्या	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार "अन्य " की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की आकलित जनसंख्या (स्तम्भ 7×6 / 100)	अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत

पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व मुहर

प्रपत्र - 1(ख)

(नियम - 4(1) देखिए)

(उदाहरण-2)

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की जनसंख्या अभिनिश्चय पंजी

जिला..... नगरपालिका .....

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार					अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार		
नगरपालिका में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या	वर्ष 2006 की नियमावली के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की कुल अभिनिश्चित जनसंख्या	नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य" की जनसंख्या	नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत	नगरपालिका का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में "अन्य" की जनसंख्या	"अन्य" की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की आकलित एवं अभिनिश्चित जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत

पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर व मुहर

प्रारुप

अंतिम

प्रपत्र-2

(नियम - 4 देखिए)

पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित जनसंख्या

जिला ..... नगरपालिका .....

क्रम सं0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की अभिनिश्चित जनसंख्या
1	2	3

जिला दण्डाधिकारी

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 83–50+300 ।